

सीमा शुल्क आयुक्त.

बनाम

सईद अली और अन्य

(सिविल अपील संख्या 2002 की 4294-4295)

18 फ़रवरी 2011

[डी.के. जैन, एच.एल. दत्तु जे.जे.]

सीमा शुल्क अधिनियम , 1962

धारा 2(34) और 28 धारा के साथ पठित 111 (डी) - "उचित अधिकारी" - शुल्क, ब्याज आदि के भुगतान के लिए नोटिस - सीमा शुल्क कलेक्टर (निवारक) द्वारा जारी - का औचित्य - अभिनिर्धारित किया: केवल ऐसा सीमा शुल्क अधिकारी जिसे मूल्यांकन के विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं और क्षेत्राधिकार क्षेत्र में शुल्क का पुनर्मूल्यांकन, जहां संबंधित आयात प्रभावित हुआ है, या तो बोर्ड या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा धारा 2 (34) के अनुसार नोटिस जारी करने के लिए सक्षम है। इसलिए, या तो बोर्ड या सीमा शुल्क आयुक्त, यह निर्धारित करने के लिए शासी परीक्षण है कि क्या "सीमा शुल्क अधिकारी" "उचित अधिकारी" है- तत्काल मामलों में, आयात घोषणापत्र और प्रवेश पत्र को कलेक्ट्रेट के समक्ष दायर किया गया है सीमा शुल्क (आयात) मुंबई, इसका मूल्यांकन किया गया है और घरेलू उपभोग

के लिए निकासी की अनुमति उचित अधिकारी द्वारा बांड निष्पादित करने वाले आयातकों पर दी गई है, जो निर्यात का दायित्व निभाते हैं, सीमा शुल्क कलेक्टर (निवारक), "उचित अधिकारी" नहीं हैं। एस के अर्थ में अधिनियम की धारा 2(34) के तहत पुनर्मूल्यांकन के लिए कारण बताओ नोटिस अंतर्गत अधिनियम 28 - अधिसूचना संख्या 250 सीएमएस जारी करने में सक्षम नहीं था। अधिसूचना संख्या 251 सीएमएस दिनांक 27.8.1983।

2001 की सिविल अपील संख्या 4294-4295, 16.4.1994 को सीमा शुल्क कलेक्टर (निवारक) द्वारा कालीन निर्माण के व्यवसाय में लगी एक साझेदारी फर्म, निर्धारिती - प्रतिवादी संख्या 2 को जारी किए गए नोटिस से उत्पन्न हुई, जिसमें निर्धारिती को दिखाने के लिए कहा गया था। कारण बताएं कि जब्त किए गए माल को जब्त क्यों नहीं किया जाए और सीमा शुल्क क्यों नहीं लगाया जाए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 (1) सीमा की विस्तारित अवधि को लागू करके। जब मामला सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण तक पहुंचा, तो उसने माना कि सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक) के पास कारण बताओ नोटिस जारी करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था। जब इसी तरह के तथ्यों पर 2005 के सीए नंबर 4603-4604 को जन्म देने वाली अपील सीईएसटीएटी के समक्ष आई, तो इसने अधिनियम की धारा 20 के तहत सीमा शुल्क

कलेक्टर (निवारक) द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने को बरकरार रखा।

न्यायालय ने 2005 के सीए नंबर 4603-4604 को अनुमति देते हुए और 2002 के सीए नंबर 42304-4295 को खारिज करते हुए

अभिनिर्धारित: यह स्पष्ट है कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 के तहत नोटिस "उचित अधिकारी" द्वारा जारी किया जाना चाहिए। धारा 2 (34) जो "उचित अधिकारी" शब्द को परिभाषित करती है, यह स्पष्ट करती है कि सीमा शुल्क के केवल ऐसे अधिकारी जिन्हें विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं। वे धारा 2 (34) के संदर्भ में "उचित अधिकारी" होंगे। इसलिए, बोर्ड या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा विशिष्ट कार्य सौंपना यह निर्धारित करने के लिए शासकीय परीक्षण है कि क्या "सीमा शुल्क अधिकारी" "उचित अधिकारी" है। [पैरा 12-13] [1057-डी-जी]

1.2 अधिनियम की धारा 2 (34) और धारा 28 को संयुक्त रूप से पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि केवल ऐसा सीमा शुल्क अधिकारी जिसे अधिकार क्षेत्र में कर्तव्य के मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन के विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं। जहां संबंधित आयात को बोर्ड या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा धारा 28 के संदर्भ में प्रभावित किया गया है, अधिनियम की धारा 2 (34) अधिनियम की धारा 28 के तहत नोटिस जारी करने के लिए सक्षम है। धारा 28 का अन्य कोई अन्य वाचन 28 अधिनियम की धारा 2(34) में अधिनियम की

धारा 2 (34) के तहत विचार किए गए परीक्षण में ऐसे कार्यों को विशिष्ट रूप से प्रदान करना शामिल है। [पैरा 14) [1057-एच; 1058-ए-बी]

1.3 यह नहीं कहा जा सकता है कि एक बार क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्रदान किए जाने के बाद, सीमा शुल्क कलेक्टर (निवारक) अधिनियम की धारा 28 के संदर्भ में एक "उचित अधिकारी" बन जाता है, क्योंकि इससे पूरी तरह से अराजकता और भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। चूँकि सीमा शुल्क के सभी अधिकारी, किसी विशेष क्षेत्र में, चाहे वह सीमा शुल्क कलेक्टर (आयात) या निवारक कलेक्टर के अंतर्गत हो, "उचित अधिकारी" होंगे। इसलिए, यह केवल सीमा शुल्क के अधिकारी हैं, जिन्हें मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया है, जिसमें निश्चित रूप से, पुनर्मूल्यांकन भी शामिल होगा, जो क्षेत्राधिकार वाले कलेक्टर के तहत काम करते हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश या सामान घोषणाओं के बिल दाखिल किए गए थे और खेप भेजी गई थी। घरेलू उपभोग के लिए मंजूरी दे दी गई है, अधिनियम की धारा के तहत नोटिस जारी करने का अधिकार क्षेत्र होगा। [पैरा 14) [1058-बी-ई]

1.4 तत्काल मामलों में, आयात घोषणा पत्र और प्रवेश बिल को सीमा शुल्क (आयात) मुंबई के कलेक्टर के समक्ष दायर किया गया है, इसका मूल्यांकन किया गया है और बांड निष्पादित करने वाले आयातकों पर उचित अधिकारी द्वारा घरेलू उपभोग के लिए निकासी की अनुमति दी गई है। निर्यात का दायित्व, सीमा शुल्क कलेक्टर (निवारक), जो धारा 2

(34) अधिनियम के तहत जो उचित अधिकारी नहीं है। जो अधिनियम की धारा 28 के तहत पुर्नमूल्यांकन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने में सक्षम नहीं है। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लाया गया है कि सीमा शुल्क कलेक्टर (निवारक), जिन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया था, को बोर्ड या कलेक्टर/आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 28 के तहत "उचित अधिकारी" के रूप में कार्य सौंपा गया था। [पैरा 16] [1058-एच; 1059-ए-सी]

1.5 अधिसूचना संख्या 250-सीयूएस और 251-सीयूएस, दोनों दिनांक 27.08.1983, उप-धाराओं द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए। अधिनियम की धारा 4 के उप-धारा (1) सीमा शुल्क (निवारक) आदि के कलेक्टर को महाराष्ट्र राज्य में बॉम्बे, ठाणे और कोलाबा जिलों के लिए सीमा शुल्क कलेक्टर के रूप में नियुक्त करना वास्तव में उन्हें शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता है। जो अधिनियम की धारा 28 के प्रयोजन के लिए "उचित अधिकारियों" को सौंपा गया। [पैरा 16] [1059-ई-एफ]

1.6 इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि "उचित अधिकारी" के रूप में कार्य करने की शक्ति का स्रोत है। अधिनियम के 4 और 5 है और अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (34) नहीं। उक्त धाराएं केवल बोर्ड को सीमा शुल्क के अधिकारियों को नियुक्त करने और उन्हें उनके द्वारा

प्रयोग/निर्वहन की जाने वाली शक्तियां और कर्तव्य प्रदान करने के लिए अधिकृत करती हैं, लेकिन अधिनियम की धारा 28 के प्रयोजन के लिए, सीमा शुल्क के एक अधिकारी को उचित अधिकारी के रूप में नामित किया जाना है। बोर्ड या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा शुल्क लगाने और एकत्र करने का कार्य सौंपकर। [पैरा 16] [1059-डी-एफ]

यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रामनारायण विश्वनाथ वगे. 1998 (9) एससीसी 285-अनुपयुक्त ठहराया गया।

1.8. यह निर्णय राजस्व का विषय-वस्तु के संबंध में देय शुल्क व अन्य शुल्कों वसूली के लिए आयातकों के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू करने से नहीं रोकेगा, यदि अधिनियम के तहत अनुमति हो। (पैरा 17)(1060-सी-डी)

कोनिया ट्रेडिंग कंपनी बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, जयपुर 2004 (170) 51 (ट्राई.-एलबी.); मनोहर ब्रोडर्स (कैपेसिटर) बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर 2, बॉम्बे, 1998 (98) ईएलटी 821 (ट्राई) कलेक्टर बनाम मनोहर ब्रोडर्स (कैपेसिटर) 2004 (166) ईएलटी ए 152 (एससी); देवीलोग बनाम सिस्टम भारत बनाम कलेक्टर सीमा शुल्क, बेंगलोर 1995 (76) ईएलटी 520 (कर) ओरिएंट आर्ट्स और शिल्प बनाम सीमा शुल्क आयुक्त (पूर्व मुंबई 2003 (155) ईएलटी 168 (ट्राई-मम); और एनफॉर्मेटिका सॉफ्टवेयर (पी) लिमिटेड एवं अन्य बनाम सीमा शुल्क आयुक्त (पी.) कलकत्ता 1997

(73) ईसीआर 348 (ट्राई कोलकाता); कमिश्नर, सेल्स टैक्स, यूपी बनाम मेसर्स सूरज प्रसाद गौरी शंकर (1974) 3 एससीसी 230; और शरद हिम्मतलाल दफ्तरी बनाम कलेक्टर ऑफ कस्टम्स 1988 (36) ईएलटी 468 (कैलोरी) - उद्धृत।

केस कानून संदर्भ:

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------|
| 2004(170) ईएलटी 51 (ट्राई.-एलबी) | उद्धृत | पैरा 7 |
| (1998) 9 एससीसी 285 | अनुपयुक्त ठहराया गया | पैरा 9 |
| 1998 (98) ईएलटी 821 (ट्राई.) | उद्धृत | पैरा 9 |
| 2004(166) ईएलटी ए 152(एससी) | उद्धृत | पैरा 9 |
| 1995 (76) ईएलटी 520 (कर.) | उद्धृत | पैरा 10 |
| 2003 (155) ईएलटी 168 (ट्राई-मम) | उद्धृत | पैरा 10 |
| 1997 (73) ईसीआर 348 ((ट्राई. कोलकाता) | उद्धृत | पैरा 10 |
| (1974) 3 एससीसी 230 | उद्धृत | पैरा 10 |
| 1988 (36) ईएलटी 468 (कैलोरी) | उद्धृत | पैरा 11 |

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4294-4295/2002।

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (CEGAT) मुंबई की अपील संख्या C/660-661/96-बम्बई

में अंतिम आदेश संख्या CII/342-43/WZB/2002 के निर्णय और आदेश
दिनांक 01.02.2002 से।

के साथ

सिविल अपील संख्या 2005 का 4603-4604।

वी.शेखर, हरीश चंद्र, जोसेफ वेल्लापल्ली, अमेय नरगोलोकर, टी.ए.
खान जांगपो शेरपा, बी. कृष्णा प्रसाद, आर. नेदुमारन, विपिन जैन, रीना
खैर, एस.आर. सेतिया, राघवेश सिंह, नेहा एस. वर्मा उपस्थित पक्षों के
लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

डी.के. जैन, जे.:

1. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा
130ई के तहत दायर इन नागरिक अपीलों में चुनौती, दिनांक 1 अक्टूबर,
2001 और 4 जनवरी, 2005 द्वारा पारित आदेशों को दी गई है। सीमा
शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप
में "सीईजीएटी") और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय
न्यायाधिकरण (संक्षेप में "सीईएसटीएटी")। अपीलों के पहले सेट (2002
की संख्या 4294-4295) में, सीईजीएटी ने माना है कि सीमा शुल्क आयुक्त
(निवारक), मुंबई, अधिनियम की धारा 2 (34) में परिभाषित के अनुसार

"उचित अधिकारी" नहीं हैं अधिनियम की धारा 28 के संदर्भ में कारण बताओ नोटिस जारी करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था। हालाँकि, अपील के दूसरे सेट (2005 की संख्या 4603-4604) में, सीईएसटीएटी ने इसके विपरीत माना है कि सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), मुंबई के पास अधिनियम की धारा 28 के तहत नोटिस जारी करने का अधिकार क्षेत्र था।

2. चूँकि सभी अपीलों में उठने वाले कानून के प्रश्न एक जैसे हैं, इसलिए इनका निपटारा इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है। हालाँकि, विवाद की सराहना करने के लिए 2000 के सी.ए. क्रमांक 4294-4295 के तथ्य पर विज्ञापित हैं। ये हैं:

प्रतिवादी नंबर 1 प्रतिवादी नंबर 2 फर्म में भागीदार है। मैसर्स हैंडलूम कारपेट, जो कालीन निर्माण/निर्यात के व्यवसाय में लगा हुआ है। प्रतिवादी नंबर 2 पर खुले बाजार में शुल्क मुक्त माल बेचकर या ऐसी बिक्री पर लगाए गए आईटीसी प्रतिबंध का उल्लंघन करके प्रीमियम पर पासबुक बेचकर निर्यात पास बुक योजना का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था। मामले की जांच सीमा शुल्क के समुद्री और निवारक विंग द्वारा की गई थी। 28 अगस्त, 1991 को सहायक कलेक्टर सीमा शुल्क (निवारक), मुंबई ने प्रतिवादियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें अधिनियम की धारा 111 (डी) के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। 3

फरवरी, 1993 को उसी अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस में उठाई गई मांगों की पुष्टि करते हुए उक्त कारण बताओ नोटिस पर फैसला सुनाया।

3. व्यथित होकर, उत्तरदाताओं ने सीमा शुल्क कलेक्टर (अपील) के समक्ष अपील की, जिन्होंने दिनांक 14 दिसंबर, 1993 को आदेश दिया। अपील की अनुमति देते हुए कहा कि चूंकि मामला छह क्विंटल की अवधि से अधिक शुल्क की मांग से जुड़ा है, इसलिए कारण बताओ नोटिस कलेक्टर द्वारा जारी किया जाना आवश्यक है, न कि सहायक कलेक्टर द्वारा। फिर भी, कलेक्टर (अपील) ने विभाग को उचित कारण बताओ नोटिस जारी करके मामले पर फिर से निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी।

4. तदनुसार, सीमा शुल्क कलेक्टर (निवारक) ने 16 अप्रैल, 1994 को कारण बताओ नोटिस जारी कर उत्तरदाताओं से यह बताने के लिए कहा कि जब्ती के तहत 1,04,118.52/- रुपये मूल्य का माल जब्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए, और सीमा की विस्तारित अवधि को लागू करके, अधिनियम की धारा 28(1) के संदर्भ में 5,07,274/- रुपये की राशि का सीमा शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अधिनियम की धारा 112(ए) और (बी)(i) और (ii) के तहत दंड भी प्रस्तावित किया गया था।

5. कारण बताओ नोटिस के जवाब में, सीमा शुल्क कलेक्टर (निवारक) के अधिकार क्षेत्र पर इस आधार पर सवाल उठाया गया था कि एक आयुक्त के अधिकार क्षेत्र के आधार पर। अधिसूचना संख्या 251/83

प्रकृति में अधिक विशिष्ट और सीमित होने के कारण, उक्त अधिसूचना अधिसूचना संख्या 250/83 पर प्रभावी होगी। दिनांक 19 अगस्त, 1996 के आदेश के तहत, सीमा शुल्क कलेक्टर (निवारक) ने अपने अधिकार क्षेत्र के संबंध में आपत्तियों को खारिज कर दिया।

"इस प्रकार यह पार्टियों द्वारा विवादित नहीं है कि अधिसूचना संख्या 250/83 के आधार पर सीमा शुल्क (निवारक) मुंबई के आयुक्त को मुंबई, ठाणे और कोलाबा जिलों वाले क्षेत्रों में सीमा शुल्क आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और इस प्रकार एक समवर्ती क्षेत्राधिकार निहित है मुंबई बंदरगाह के संबंध में भी। जो तर्क दिया जा रहा है वह यह है कि अधिसूचना संख्या 251/83 के तहत सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई का क्षेत्राधिकार अधिक विशिष्ट और सीमित है। इस संबंध में प्रावधानों के तहत तस्करी की परिभाषा का उल्लेख करना प्रासंगिक है सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत तस्करी को किसी भी कार्य या चूक के रूप में परिभाषित किया गया है जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत सामान को जब्त कर लेता है। इस मामले में मैसर्स हैंडलूम कालीन निर्माता (एसआईसी) पर अधिसूचना संख्या 117/88 दिनांक 30-3-1988 के प्रावधानों का उल्लंघन करके आयातित और मुफ्त में निकासी किए गए माल की तस्करी और

रसीद दिखाने के लिए दस्तावेजों के निर्माण का आरोप लगाया गया है। उनके कारखाने में इसकी खपत होती है। आयातित और शुल्क मुक्त वस्तुओं को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों के तहत जब्त करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया था और तस्करी की रोकथाम और वाणिज्यिक धोखाधड़ी सहित तस्करी के मामलों को हिरासत में लेने के उद्देश्य से बनाए गए सीमा शुल्क (निवारक) आयोग को इस प्रकार के मामले की जांच और निर्णय करने में सक्षम है।”

कलेक्टर ने रुपये 5,07,274/- रु. शुल्क की अधिनियम की धारा 28 (1) के तहत मांग की पुष्टि की। उन्होंने सल्फर ब्लू और सल्फर ब्लू ग्रीन रंगों की दो खेपों को जब्त करने का भी आदेश दिया। रुपये 1,34,118.52/- और रुपये 1,50,000/- का मोचन जुर्माना लगाया गया।

6. व्यथित होकर, उत्तरदाताओं ने सीईजीएटी के समक्ष अपील दायर की। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कलेक्टर (निवारक) के क्षेत्राधिकार के संबंध में उत्तरदाताओं की प्रारंभिक आपत्ति को स्वीकार करते हुए सीईजीएटी ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से यह देखते हुए अपील की अनुमति दी है कि:

"यह बहुत स्पष्ट है कि सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक) के पास कारण बताओ नोटिस जारी करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है और

इसके मद्देनजर जब आयात बॉम्बे कस्टम्स हाउस में हुआ है तो उनके पास मामले पर फैसला देने का अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है।"

7. दोहराव के लिए, यह ध्यान दिया जा सकता है कि यद्यपि 2005 की सी.ए. संख्या 4603-4604 में प्राप्त 2002 की सी.ए. संख्या 4294-4295 के समान हैं, लेकिन पूर्व मामले में, कोनिया ट्रेडिंग कंपनी बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, जयपुर (2004(170) ई.एल.टी.(ट्राई-एलबी)), में इसकी बड़ी पीठ में फैसले के बाद सीईएसटीएटी ने अधिनियम की धारा 28 के तहत सीमा शुल्क कलेक्टर (निवारक) द्वारा कारण बताओ नोटिस के मुद्दे को बरकरार रखते हुए, उक्त अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के आदेश को इस निर्देश के साथ रद्द कर दिया कि मुद्दे सीमा शुल्क के क्षेत्राधिकारी कलेक्टर द्वारा नए सिरे से निर्धारित किया जाएगा जिसने पहले बॉम्बे पोर्ट पर प्रश्नगत प्रवेश बिल का मूल्यांकन किया था।

8. इसलिए, वर्तमान क्रॉस राजस्व और आयातकों द्वारा अपील करता है। सबसे पहले, हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि ये अपीलें केवल कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद सीमा शुल्क कलेक्टर (निवारक) मुंबई द्वारा पारित पुर्नमूल्यांकन आदेशों के आधार पर उठाई गई मांगों की वैधता के सवाल तक ही सीमित हैं। अधिनियम की धारा 28 सुविधा के लिए,

इसके बाद, सीईएसटीएटी और सीईजीएटी दोनों को "ट्रिब्यूनल" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

9. अपीलों के एक सेट में राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हरीश चंद्र ने तर्क दिया कि एक बार आयुक्त (निवारक) को अधिसूचना संख्या 250/83 और 251/83 के आधार पर सीमा शुल्क (निवारक), बॉम्बे के कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था और अधिनियम की धारा 4 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया, पूर्व अधिनियम की धारा 2 (34) के संदर्भ में "उचित अधिकारी" बन गया, और अधिनियम की धारा 28 के तहत नोटिस जारी करने के लिए सक्षम था। बम्बई में घरेलू उपभोग के लिए माल को मंजूरी दे दी गई। इस प्रस्ताव के समर्थन में कि सीमा शुल्क का एक अधिकारी जिसे कुछ कार्य सौंपे गए हैं, जो अधिनियम के तहत किए जाने हैं, एक "उचित अधिकारी" है और ऐसा कार्य बोर्ड या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा किया जा सकता है, पर भरोसा किया गया था भारत संघ एवं अन्य बनाम राम नारायण विश्वनाथ साथ ही कोनिया ट्रेडिंग कंपनी (सुप्रा) में ट्रिब्यूनल की एक बड़ी बेंच के फैसले और मनोहर ब्रदर्स (कैपेसिटर) बनाम कलेक्टर सीमा शुल्क-द्वितीय, बम्बई 1998(98) ई.एल.टी 821(में ट्रिब्यूनल के एक अन्य फैसले पर भी बाद में इस न्यायालय द्वारा राजस्व की अपील को खारिज करने पर अंतिम

निर्णय प्राप्त कर चुके हैं (देखें:कलेक्टर बनाम मनोहर ब्रदर्स (कैपेसिटर)
2004(166) ई.एल.टी.ए 152 (एससी))

10. इसके विपरीत, श्री जोसेफ वेल्लापल्ली, सी.ए. में उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने 2002 की संख्या 4294-4295 में तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 28 के तहत प्रदत्त वैधानिक शक्तियों का प्रयोग सीमा शुल्क के एक अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, जिसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड या क्षेत्राधिकार आयुक्त सीमा शुल्क (आयात) द्वारा ये काम सौंपे गये हैं। चूंकि आयुक्त (निवारक) को मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए एक उचित अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है, न ही अधिनियम की धारा 28 के तहत या घरेलू उपभोग के लिए दर्ज की गई वस्तुओं के मूल्यांकन से संबंधित किसी अन्य धारा के तहत कोई कार्य सौंपा गया है। विद्वान वकील ने तर्क दिया, वह अधिनियम की धारा 28 के तहत नोटिस जारी करने के लिए सक्षम नहीं थे। यह भी आग्रह किया गया था कि अधिनियम की धारा 4 के तहत मुंबई बंदरगाह पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले सीमा शुल्क अधिकारी के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति मात्र है। अधिनियम के तहत, उचित अधिकारियों को सौंपी गई वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए वास्तव में उसे अधिकार प्रदान नहीं किया गया है, जबकि सभी उचित अधिकारियों को 'सीमा शुल्क अधिकारी' होना चाहिए, सभी 'सीमा शुल्क

अधिकारी" "उचित अधिकारी" नहीं हैं। इसके समर्थन में विद्वान वकील ने प्रस्ताव में देवीलोग सिस्टम्स इंडिया बनाम कलेक्टर ऑफ कस्टम्स, बेंगलुरु (1995(76)ई.एल.टी.520(कर)) मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले और ओरिएंट आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स बनाम कमिश्नर ऑफ कस्टम्स (पूर्व), मुंबई (2003(155) ई.एल.टी.168(ट्राई-मम) ट्रिब्यूनल के आदेशों पर और इन्फॉर्मेटिका सॉफ्टवेयर (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम सीमा शुल्क आयुक्त (पी), कलकत्ता (1997(73)ईसीआर 348(ट्राई-कोलकाता)) पर अधिक भरोसा किया। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अभिव्यक्ति "उचित अधिकारी" का उपयोग इसके विपरीत है। अधिनियम की कुछ धाराओं में "सीमा शुल्क अधिकारी" यह स्पष्ट करता है कि दोनों अभिव्यक्तियों का परस्पर उपयोग नहीं किया जा सकता है। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि यदि राजस्व का यह तर्क कि सभी "सीमा शुल्क अधिकारी" "उचित अधिकारी" हैं, स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह धारा 2 (34) को निरर्थक बना देगा और अधिनियम को फिर से लिखने के बराबर होगा, जिससे प्रशासनिक अराजकता पैदा होगी। समर्थन में, कमिश्नर, सेल्स टैक्स, यू.पी. बनाम मैसर्स सूरज प्रसाद गौरीशंकर में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया था। ((1974)3 एससीसी 230)

11. घरेलू उपभोग के लिए आयातित वस्तुओं की निकासी की प्रक्रिया को समझाते हुए, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम स्पष्ट रूप

से सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) और आयुक्त (निवारक) द्वारा किए जाने वाले कार्यों को चित्रित करता है। धारा के अंतर्गत विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अधिनियम की धारा 30 के अनुसार जहाज के मालिक को आगमन पर या आगमन से पहले उचित अधिकारी यानी सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), अफवाह और खुफिया विंग के साथ एक आयात सामान्य घोषणापत्र ("आईजीएम") दाखिल करना आवश्यक है। निवारक प्रभाग परिवहन की जाँच करता है और यह सुनिश्चित करता है कि जहाज में सभी सामान का उल्लेख आईजीएम में किया गया है; फिर, अधिनियम की धारा 31 के संदर्भ में, "अंदर प्रवेश" की अनुमति देने वाला आदेश उचित अधिकारी, यानी सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) द्वारा दिया जाता है; धारा 34 के संदर्भ में माल को निवारक अधिकारी की देखरेख में उतारा जाता है; और फिर, आयातक एक प्रविष्टि बिल दाखिल करता है, जिसका मूल्यांकन "उचित अधिकारी" यानी कमिश्नर (आयात) द्वारा किया जाता है, जो आयातक द्वारा सभी कर्तव्यों के भुगतान पर अधिनियम की धारा 47 के तहत घरेलू उपभोग के लिए माल की निकासी की अनुमति देने वाला आदेश जारी करता है। इस प्रकार, यह दावा किया गया था कि एक बार जब माल प्रकट हो जाता है, तो मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के किसी भी आदेश को पारित करने का अधिकार सीमा शुल्क कलेक्टर (आयात) में निहित होता है, न कि सीमा शुल्क कलेक्टर (निवारक) में मुद्दे को स्पष्ट

करने के लिए, शरद हिम्मतलाल दफ्तरी बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर में कलकत्ता उच्च न्यायालय (1988(36) ई.एल.टी.(कल.)) के एक फैसले का संदर्भ दिया गया। यह प्रस्तुत किया गया कि तत्काल मामले में, आयात मेनिफेस्ट और प्रवेश बिल अतिरिक्त सीमा शुल्क कलेक्टर (आयात) मुंबई के समक्ष दायर किए गए थे; प्रवेश के बिल का विधिवत मूल्यांकन किया गया था, और छूट का लाभ आयातक द्वारा एक बांड के निष्पादन के अधीन बढ़ाया गया था, जिसे निर्यात के दायित्व को पूरा करते हुए विधिवत निष्पादित किया गया था। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि निवारक कर्मचारियों का कार्य उन वस्तुओं तक ही सीमित है जो प्रकट वस्तुओं के संबंध में प्रकट नहीं होती हैं, जहां प्रवेश के बिल दाखिल किए जाने हैं, मूल्यांकन, निकासी आदि का पूरा कार्य मूल्यांकन सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) के अधीन कार्य करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है।

12. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ को विज्ञापन देने से पहले, यह होगा अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का सर्वेक्षण करना समीचीन है। अधिनियम की धारा 28 जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, प्रावधान करता है कि जिस शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है उसके भुगतान के लिए नोटिस जारी करना, या कम कर लगाया गया है या गलती से वापस कर दिया गया है, और प्रदान करता है। वह:

"28. शुल्क, ब्याज आदि के भुगतान के लिए सूचना -

(1) जब कोई शुल्क नहीं लगाया गया हो या कम लगाया गया या गलती से वापस कर दिया गया या जब कोई ब्याज देय हो का भुगतान नहीं किया गया है आंशिक भुगतान किया गया है या गलती से किया गया है लौटाया गया, उचित अधिकारी कर सकता है,-

(ए) किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी आयात के मामले में उसका व्यक्तिगत उपयोग या सरकार द्वारा या किसी शैक्षणिक द्वारा, अनुसंधान या धर्मार्थ संस्थान या अस्पताल एक वर्ष के भीतर;

(बी) किसी अन्य मामले में, छह महीने के भीतर,

संबंधित तिथि से उस व्यक्ति को नोटिस तामील कराएं जो शुल्क या ब्याज के साथ प्रभार्य जो नहीं किया गया है लगाया या जो इतना कम लगाया गया हो या आंशिक रूप से लगाया गया हो या जिसे रिफंड गलती से किया गया है, उससे यह कारण बताने को कहा गया है कि उसे भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए नोटिस में निर्दिष्ट राशि का :

बशर्ते कि जहां कोई शुल्क नहीं लगाया गया है या कम लगाया गया है या ब्याज नहीं लगाया गया है या आंशिक भुगतान किया गया है या शुल्क या, ब्याज गलती से भ्रम या किसी जानबूझकर

गलत बयानी के कारण वापस कर दिया गया है या आयातक या निर्यातक के एजेंट या कर्मचारी द्वारा तथ्य का दमन, इस प्रावधान की उपधारा "एक वर्ष" और "छह, महीने" शब्दों के लिए शब्द "पाँच वर्ष" प्रतिस्थापित किये गये।"

प्रावधान से यह स्पष्ट है कि "उचित अधिकारी" अपने पास मौजूद सामग्री के आधार पर व्यक्तिपरक रूप से संतुष्ट है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए आयात पर सीमा शुल्क नहीं लगाया गया है या कम लगाया गया है या गलत तरीके से वापस किया गया है। उसका व्यक्तिगत उपयोग या सरकार द्वारा या किसी शैक्षिक, अनुसंधान या धर्मार्थ संस्थान या अस्पताल द्वारा, एक वर्ष के भीतर और अन्य सभी मामलों में प्रासंगिक तिथि से छह महीने के भीतर, प्रभारी व्यक्ति पर नोटिस की तामील हो सकती है, जो कारण बतायेगा कि उसे नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए। यह स्पष्ट है कि उक्त प्रावधान के तहत नोटिस "उचित अधिकारी" द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

13. अधिनियम की धारा 2(34) के संदर्भ में "उचित अधिकारी" बनें।

"2. परिभाषा

(34) "उचित अधिकारी" इस अधिनियम के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों के संबंध में वह अधिकारी जिसे बोर्ड या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा वह कार्य निर्दिष्ट किये गये हैं।

प्रावधान पर नजर डालने से ही यह स्पष्ट है कि कस्टम के ऐसे अधिकारी ही जिन्हें विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं अधिनियम की धारा 2 (34) के संदर्भ में "उचित अधिकारी" बनें। बोर्ड या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा कार्य का विशिष्ट सौंपा जाना यह निर्धारित करने के लिए कि क्या सीमा शुल्क अधिकारी उचित अधिकारी है, शासी परीक्षण है।

14. अधिनियम की धारा 2(34) और 28 को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह पता चलता है कि केवल ऐसा सीमा शुल्क अधिकारी जिसे उस अधिकार क्षेत्र में शुल्क के मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन के विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं जहां संबंधित आयात किया गया है। अधिनियम की धारा 2 (34) के संदर्भ में, बोर्ड या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा प्रभावित व्यक्ति, अधिनियम की धारा 28 के तहत नोटिस जारी करने के लिए सक्षम है। धारा 28 का कोई भी अन्य पाठ अधिनियम की धारा 2 (34) के प्रावधानों को उतना ही उपयोगी बना देगा जितना कि अधिनियम की धारा 2 (34) के तहत विचार किया गया परीक्षण ऐसे कार्यों के विशिष्ट प्रदान करने का है। इसके अलावा, यदि राजस्व का यह तर्क स्वीकार कर लिया जाता है कि एक बार क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्रदान कर दिए जाने के बाद, सीमा शुल्क

कलेक्टर (निवारक) अधिनियम की धारा 28 के संदर्भ में एक "उचित अधिकारी" बन जाता है, तो इससे पूरी तरह से अराजकता और भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। सीमा शुल्क के सभी अधिकारी, किसी विशेष क्षेत्र में, चाहे वह सीमा शुल्क कलेक्टर (आयात) या निवारक कलेक्टर के अधीन हों, "उचित अधिकारी" होंगे। इसलिए, हमारे विचार में केवल सीमा शुल्क के अधिकारी जिन्हें मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया है, जिसमें निश्चित रूप से पुनर्मूल्यांकन शामिल होगा, उस क्षेत्राधिकार वाले कलेक्टर के तहत काम करना जिसके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश या सामान की घोषणा के बिल दाखिल किए गए थे और घरेलू उपभोग के लिए खेप को मंजूरी दे दी गई थी, अधिनियम की धारा 28 के तहत नोटिस जारी करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

15. इस संबंध में, हमारा ध्यान श्री जोसेफ वेल्लापल्ली द्वारा 12 जुलाई, 1989 के स्थायी आदेश संख्या 35/89 की ओर भी आकर्षित किया गया था, जो एक सीमा शुल्क कलेक्टर द्वारा जारी किया गया था, जिसके पास सीमा शुल्क कलेक्टर, कलकत्ता और सीमा शुल्क कलेक्टर (निवारक) का दोहरा प्रभार था। साथ ही अधिनियम की धारा 2 (34) के तहत बोर्ड द्वारा जारी की गई कुछ अधिसूचनाएं जो सीमा शुल्क सदन और निवारक कलेक्टर के कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती हैं।

16. वर्तमान मामलों में, आयात घोषणापत्र और प्रवेश बिल को सीमा शुल्क (आयात) मुंबई के कलेक्टर के समक्ष दायर किया गया है, इसका मूल्यांकन किया गया है और बांड निष्पादित करने वाले आयातकों पर उचित अधिकारी द्वारा घरेलू उपभोग के लिए निकासी की अनुमति दी गई है। निर्यात की बाध्यता, हमारी राय में, सीमा शुल्क कलेक्टर (निवारक), अधिनियम की धारा 2 (34) के अर्थ में एक "उचित अधिकारी" नहीं होने के कारण, धारा 28 अधिनियम पुर्नमूल्यांकन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने में सक्षम नहीं था। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लाया गया है कि सीमा शुल्क कलेक्टर (निवारक), जिन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया था, को बोर्ड या कलेक्टर/आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 28 के तहत "उचित अधिकारी" के रूप में कार्य सौंपा गया था। हम आश्चर्य हैं कि अधिसूचना संख्या 250-सीयूएस और 251-सीयूएस, दोनों दिनांक 27 अगस्त, 1983, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई हैं। महाराष्ट्र राज्य में बॉम्बे, ठाणे और कोलाबा जिलों के लिए सीमा शुल्क कलेक्टर (निवारक) आदि को धारा 28 अधिनियम के प्रयोजन के लिए "उचित अधिकारियों" को सौंपी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए वास्तव में अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं किया गया था। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, हमें अपील के दूसरे सेट में राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ

वकील श्री वी. शेखर के इस तर्क में कोई तथ्य नहीं मिला कि "उचित अधिकारी" के रूप में कार्य करने की शक्ति का स्रोत "अधिनियम की धारा 4 और 5 है न कि अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 34। उक्त धाराएं केवल बोर्ड को सीमा शुल्क के अधिकारियों को नियुक्त करने और उन्हें उनके द्वारा प्रयोग/निर्वहन की जाने वाली शक्तियां और कर्तव्य प्रदान करने के लिए अधिकृत करती हैं, लेकिन अधिनियम की धारा 28 के प्रयोजन के लिए सीमा शुल्क के एक अधिकारी को नामित किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा 34 उचित नहीं है। उक्त धाराएं केवल बोर्ड को सीमा शुल्क के अधिकारियों को नियुक्त करने और उनके द्वारा प्रयोग/निर्वहन की जाने वाली शक्तियां और कर्तव्य प्रदान करने के लिए अधिकृत करती हैं, लेकिन धारा 28 के प्रयोजन के लिए अधिनियम में, सीमा शुल्क के एक अधिकारी को अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा 34 के तहत "उचित अधिकारी" के रूप में नामित किया जाना चाहिए। उक्त धाराएं केवल बोर्ड को सीमा शुल्क के अधिकारियों को नियुक्त करने और उन्हें उनके द्वारा प्रयोग/निर्वहन की जाने वाली शक्तियां और कर्तव्य प्रदान करने के लिए अधिकृत करती हैं, लेकिन अधिनियम की धारा 28 के प्रयोजन के लिए, सीमा शुल्क के एक अधिकारी को "उचित अधिकारी" के रूप में नामित किया जाना चाहिए। बोर्ड या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा शुल्क लगाने और एकत्र करने का कार्य सौंपकर। तदनुसार तर्क खारिज किया

जाता है। इसी तरह राम नारायण विश्वनाथ और अन्य (सुप्रा) में इस अदालत के फैसले पर राजस्व की निर्भरता स्पष्ट रूप से गलत स्थान पर है। उस मामले में निर्धारण का मुद्दा यह था कि जब पारादीप बंदरगाह (उड़ीसा राज्य) पर आयातित और निकासी किए गए माल को पश्चिम बंगाल में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा इस आरोप में जब्त कर लिया गया था कि इन्हें 'फर्जी लाइसेंस के आधार पर आयात किया गया था, चाहे सीमा शुल्क हो पारादीप या पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के पास न्यायनिर्णयन कार्यवाही शुरू करने का अधिकार क्षेत्र होगा। एक संक्षिप्त आदेश द्वारा यह माना गया कि आयातक के खिलाफ कार्यवाही शुरू करना पारादीप के सीमा शुल्क अधिकारियों का काम था। इस तथ्य के अलावा कि उस मामले में किसी भी वैधानिक प्रावधान पर विचार नहीं किया गया था, वर्तमान अपील में विचार के लिए उत्पन्न मुद्दा उसमें विषय वस्तु नहीं था। इस प्रकार, उक्त निर्णय से राजस्व को कोई लाभ नहीं होगा।

17. उपरोक्त कारणों से, हम राजस्व के रुख में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप, सी.ए. 2002 के क्रमांक 4294-4295 को किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण खारिज किया जाता है, जबकि 2005 की सी.ए. संख्या 4603-4604 को स्वीकार करते हैं। मामलों से अलग होने से पहले, हम एक बार फिर स्पष्ट करते हैं कि यह निर्णय राजस्व को विषय वस्तु के संबंध में देय शुल्क और अन्य शुल्कों की वसूली के लिए

आयातकों के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू करने से नहीं रोकेगा, यदि अधिनियम के तहत अनुमति हो।

18. हालाँकि, इन तथ्यों और परिस्थितियों में मामलों में काॅस्ट के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील का निस्तारण किया गया

साईटेशन (एम) (जे.के.)

1. कोनिया ट्रेडिंग कंपनी बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, जयपुर 2004(170) ईएलटी 51 (त्रि.-एलबी);
2. मनोहर ब्रदर्स (कैपेसिटर) बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर जेआई, बॉम्बे, 1998 (98) ईएलटी 821 (ट्राई);
3. कलेक्टर बनाम मनोहर ब्रदर्स (कैपेसिटर) 2004(166) ईएलटी जी ए 1-52(एससी);
4. देवीलोग बनाम. सिस्टम इंडिया बनाम कलेक्टर ऑफ कस्टम्स, बेंगलोर 1995 (76) ईएलटी 520 (कर.);
5. ओरिएंट आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स बनाम आयुक्त सीमा शुल्क (पूर्व) मुंबई 2003(155) ईएलटी 168(ट्राई-मम);

6. इंफॉर्मेटिका सॉफ्टवेयर (पी) लिमिटेड और अन्य। बनाम सीमा शुल्क आयुक्त (पी.) कलकत्ता.1997 (73) ईसीआर 348((त्रि. कोलकाता);
7. आयुक्त, विक्रय कर, उ.प्र. बनाम मिस सूरज प्रसाद गौरी शंकर (1974)
3 एससीसी 230;
- 8- शरद हिम्मतलाल दफ्तरी बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर 1988 (36)
ईएलटी 468 (कैल.)।
9. भारत संघ एवं अन्य बनाम राम नारायण विश्वनाथ और अन्य (1998)
9 एस.सी.सी।

नोट- यह अनुवाद आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ललित मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।